# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पिता श्री नारायण लाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला, केलवा तह. व जिला राजसमन्द

**– अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा**–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 56/2023**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 18.09.2023**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये क्रमांक आर.टी.आई. /23/300–301 दिनांक 08.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 244959372422601 दिनांक 06.07.2023 का अवलोकन किया गया, आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./23/255 दिनांक 17.08.2023 आनलाईन न. 8010233632 दिनांक 21.08.2023 से प्रार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पत्र में चाही गई बिन्दुवार 01 से 03 तक सूचना के संबंध में इस कार्यालय में अवैध निर्माण की सूचना शून्य है।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।<br>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।<br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br>**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**<br>**(जिला कलक्टर) राजसमंद** | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)